कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून।

पत्रांकः न–20/असुव्य (1034)/19–20.

दिनांकः सितम्बर 28, 2019

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक
एच0एम0 होम स्टे (H.M. HOME STAY)
चालर्विली रोड, सवॉय आउट हाउस मसूरी
जनपद–देहरादून।

सन्दर्भः– अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की वैबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर 32054057 दिनांक 21.09.2019 के सम्बन्ध में।

आपके **होम स्टे** का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी **मसूरी** द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक **25–09–2019** में आपके **होम स्टे** में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी **मसूरी** की निरीक्षण आख्या दिनांक **25–09–2019** के आधार पर आपके **होम स्टे** हेतु दिनांक 28–09–2019 से 27–09–2020 तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का प्रमाण–पत्र प्रति वर्ष लिया जाना अनिवार्य होगा। निर्देशित किया जाता है कि भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अलग से अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगें एंव अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगें। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नही होगा। अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ न पाये जाने अथवा अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

28.09.19

(एस0 के0 राणा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून